समाचार

लाकडाउन में खुला मिला सुपर बाजार, लगाया अर्थदण्ड

(लाकडाउन उल्लंघन पर 14300 रूपये का लगा जुर्माना)

कोरबा 27 अप्रैल 2021 –लाकडाउन के दौरान आज कोरबा जोनांतर्गत स्थित मामाजी सुपर बाजार निगम अमले को खुला मिला, जिस पर कार्यवाही करते हुए उक्त दुकान संचालक को 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार गांधी चौक स्थित गणेश डेयरी के संचालक द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पिछले दरवाजे से सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, उक्त प्रतिष्ठान पर भी 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई।

लाकडाउन के दौरान दुकान खोलने एवं निर्धारित समय के बाद फल, सब्जी का विक्रय करके लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसके साथ ही बिना मास्क लगाकर बेवजह घूमने वालों पर भी कार्यवाही हो रही है। आज कोरबा जोनांतर्गत स्थित मामाजी सुपर बाजार के संचालक द्वारा दुकान खोलकर व्यवसाय किया जा रहा था, इसी प्रकार निर्धारित समय के पश्चात भी गणेश डेयरी के संचालक द्वारा दुकान के पिछले दरवाजे से सामग्री का विक्रय करके लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, निगम अमले ने उक्त दोनों प्रतिष्ठानों पर 02–02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें हिदायत दी कि वे लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। इसी प्रकार नगर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत निर्धारित समय के बाद तथा एक ही स्थान पर खड़े होकर ठेलों में फल, सब्जी का विक्रय कर लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी निगम अमले ने अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी।

शादी में रहे ज्यादा लोग, लगा 05 हजार रूपये अर्थदण्ड– दर्री जोन के अंतर्गत आने वाले उड़िया बस्ती में एक शादी के कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों की उपस्थिति रही, निगम अमले ने इसकी जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचकर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे लाकडाउन के नियमों का पालन करें तथा भीड़ एकत्रित न करें।

आज लगा 14300 रूपये का अर्थदण्ड— लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आज कोरबा जोनांतर्गत 5400 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 2000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 5000 रूपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।